जल संसाधन मंत्रालय

मांग संख्या 84

जल संसाधन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		413.17	199.50	612.67	392.50	198.00	590.50	466.26	212.37	678.63
पूंजी		*62.25*	*7.00*	*69.25*	*32.50*	*22.00*	*54.50*	*33.74*	*16.00*	*49.74*
जोड़		**475.42**	**206.50**	**681.92**	**425.00**	**220.00**	**645.00**	**500.00**	**228.37**	**728.37**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.30	10.24	12.54	1.70	10.75	12.45	1.74	10.95	12.69
वृहद तथा मध्यम सिंचाई										
2. केन्द्रीय जल आयोग	2701	18.96	66.53	85.49	17.15	68.74	85.89	20.58	71.25	91.83
	4701	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	...	...	...
	जोड़	*19.81*	*66.53*	*86.34*	*18.00*	*68.74*	*86.74*	*20.58*	*71.25*	*91.83*
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	2701	4.35	3.91	8.26	4.55	3.87	8.42	6.23	4.06	10.29
	4701	0.90	...	0.90	0.70	...	0.70	0.30	...	0.30
	जोड़	*5.25*	*3.91*	*9.16*	*5.25*	*3.87*	*9.12*	*6.53*	*4.06*	*10.59*
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	2701	3.72	12.98	16.70	2.90	13.11	16.01	1.83	13.60	15.43
	4701	2.20	...	2.20	2.90	...	2.90	4.44	...	4.44
	जोड़	*5.92*	*12.98*	*18.90*	*5.80*	*13.11*	*18.91*	*6.27*	*13.60*	*19.87*
5. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	2701	12.50	...	12.50	13.30	...	13.30	15.00	...	15.00
6. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी	2701	3.62	3.20	6.82	2.30	3.06	5.36	4.40	3.23	7.63
7. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2701	1.70	...	1.70	2.14	...	2.14	2.36	...	2.36
8. अन्य	2701	...	0.56	0.56	0.24	1.38	1.62	...	1.50	1.50
9. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान										
9.01 सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए सहायता	3601	...	8.00	8.00	...	1.00	1.00	...	8.00	8.00
जोड़ - वृहद तथा मध्यम सिंचाई		**48.80**	**95.18**	**143.98**	**47.03**	**91.16**	**138.19**	**55.14**	**101.64**	**156.78**
लघु सिंचाई										
10. केन्द्रीय भू-गत जल बोर्ड	2702	80.17	41.79	121.96	82.12	43.14	125.26	74.57	44.43	119.00
	4702	2.00	...	2.00	1.55	...	1.55	3.00	...	3.00
	जोड़	*82.17*	*41.79*	*123.96*	*83.67*	*43.14*	*126.81*	*77.57*	*44.43*	*122.00*
11. भू-गत जल योजनाएं	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. भूतल जल योजनाएं	2702	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.26	...	0.26
	3601	2.83	...	2.83	4.63	...	4.63	6.50	...	6.50
	3602	0.03	...	0.03	0.13	...	0.13	0.25	...	0.25
	जोड़	*3.10*	*...*	*3.10*	*5.00*	*...*	*5.00*	*7.01*	*...*	*7.01*
जोड़ - लघु सिंचाई		**85.27**	**41.79**	**127.06**	**88.67**	**43.14**	**131.81**	**84.58**	**44.43**	**129.01**
13. कमान क्षेत्र विकास	2705	4.50	...	4.50	4.25	...	4.25	4.90	...	4.90
	3601	156.38	...	156.38	115.49	...	115.49	182.29	...	182.29
	7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*160.88*	*...*	*160.88*	*119.74*	*...*	*119.74*	*187.19*	*...*	*187.19*
बाढ़ नियंत्रण										
14. केन्द्रीय जल आयोग	2711	25.07	30.90	55.97	29.98	31.31	61.29	27.87	32.88	60.75
	4711	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50
	जोड़	*28.07*	*30.90*	*58.97*	*32.98*	*31.31*	*64.29*	*31.37*	*32.88*	*64.25*
15. ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्य										
15.01 ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सहायता अनुदान	2711	15.50	...	15.50	17.40	...	17.40	20.00	...	20.00
15.02 ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए सहायता अनुदान	3601	...	...	...	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
	7601	30.00	...	30.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*30.00*	*...*	*30.00*	*25.00*	*...*	*25.00*	*25.00*	*...*	*25.00*
जोड़-ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ नियंत्रण कार्य		**45.50**	**...**	**45.50**	**42.40**	**...**	**42.40**	**45.00**	**...**	**45.00**
16. राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य										
16.01 बाढ़ रोधक कार्यक्रमों के लिए अनुदान	3601	2.10	...	2.10	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16.02 गंगा बेसिन वाले राज्यों में महत्वपूर्ण कटावरोधी निर्माण कार्य	3601	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	20.00	...	20.00
	जोड़	*25.10*	*...*	*25.10*	*24.00*	*...*	*24.00*	*21.00*	*...*	*21.00*
17. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य	7601	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
18. बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं										
18.01 गंगा बाढ नियंत्रण आयोग	2711	1.60	...	1.60	1.95	...	1.95	2.09	...	2.09
18.02 कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का अनुरक्षण	2711	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	3.71	...	3.71
18.03 पगलडिया बांध परियोजना	2711	40.00	...	40.00	17.00	...	17.00	27.00	...	27.00
18.04 अन्य	2711	3.20	...	3.20	4.29	...	4.29	2.85	...	2.85
	3601	1.20	...	1.20	11.00	...	11.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*4.40*	*...*	*4.40*	*15.29*	*...*	*15.29*	*7.85*	*...*	*7.85*
जोड़-बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं		**51.00**	**...**	**51.00**	**39.24**	**...**	**39.24**	**40.65**	**...**	**40.65**
19. पड़ोसी देशों से सहयोग										
19.01 नेपाल और बंगलादेश के साथ साझी नदियों पर अवलोकन	2711	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
19.02 कोसी उच्च बांध परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण	2711	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30	1.00	...	1.00
19.03 केन्द्रीय हिमालयी परियोजनाओं का विकास	2711	3.00	...	3.00	4.50	...	4.50	8.35	...	8.35
19.04 मानस तिस्ता लिंक परियोजना	2711	0.70	...	0.70	0.44	...	0.44	0.48	...	0.48
जोड़-पड़ोसी देशों के साथ सहयोग		**5.20**	**...**	**5.20**	**5.74**	**...**	**5.74**	**10.83**	**...**	**10.83**
जोड़ - बाढ़ नियंत्रण		**154.87**	**33.90**	**188.77**	**144.36**	**34.31**	**178.67**	**148.85**	**35.88**	**184.73**
अन्य परिवहन सेवाएं										
20. फरक्का बराज परियोजना	3075	...	21.39	21.39	...	21.64	21.64	...	22.47	22.47
	5075	21.50	-1.00	20.50	21.50	-1.00	20.50	21.50	-1.00	20.50
	जोड़	*21.50*	*20.39*	*41.89*	*21.50*	*20.64*	*42.14*	*21.50*	*21.47*	*42.97*
21. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
21.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	6701	...	5.00	5.00	...	20.00	20.00	...	14.00	14.00
22. सरकारी उद्यमों/वित्तीय संस्थाओं में निवेश										
22.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	6701	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
कुल जोड़		***475.42***	***206.50***	***681.92***	***425.00***	***220.00***	***645.00***	***500.00***	***228.37***	***728.37***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
22.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	12701	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
22.02 नाबार्ड (कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु विशेष ऋण खाते में अंशदान)	12705	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.03 वापकोस (बोनस शेयरों का निर्गम	12701	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.80*	*...*	*1.80*	*2.00*	*...*	*2.00*	*1.00*	*...*	*1.00*
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय आयोजना										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	2.30	...	2.30	1.70	...	1.70	1.74	...	1.74
2. वृहद् तथा मध्यम सिंचाई	12701	50.60	...	50.60	49.03	...	49.03	56.14	...	56.14
3. लघु सिंचाई	12702	85.27	...	85.27	88.67	...	88.67	84.58	...	84.58
4. कमान क्षेत्र विकास	12705	160.88	...	160.88	119.74	...	119.74	187.19	...	187.19
5. बाढ़ नियंत्रण	12711	154.87	...	154.87	144.36	...	144.36	148.85	...	148.85
6. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	21.50	...	21.50	21.50	...	21.50	21.50	...	21.50
	जोड़	*475.42*	*...*	*475.42*	*425.00*	*...*	*425.00*	*500.00*	*...*	*500.00*
राज्य आयोजना	**43601**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़		**475.42**	**...**	**475.42**	**425.00**	**...**	**425.00**	**500.00**	**...**	**500.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** इसमें मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए व्यवस्था है। यह आयोजना परिव्यय "मंत्रालय और उसके संगठनों के सूचना और प्रौद्योगिकी" तथा "जल विज्ञान परियोजना" के प्रोजेक्ट सचिवालय इकाई (पी.एस.यू.) के लिए है, जो कि एक विदेशी सहायता प्राप्त योजना है।

बड़ी और मध्यम सिंचाई

2. **केन्द्रीय जल आयोगः** संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से देश भर में सिंचाई, नौचालन और बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण तथा उपयोग हेतु स्कीमें शुरु करने, समन्वित करने तथा उन्हें और आगे बढ़ाने के बारे में सलाह देने का उत्तरदायित्व आयोग को सौंपा गया है। देश में जल संसाधनों के विकास और उपयोग के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी संगठन होने के कारण यह बहुउद्देशीय नदी घाटी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में आयोजना, अन्वेषण, डिजाइन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय जल आयोग के लिए परिव्यय 20.58 करोड़ रुपए है। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 1.00 करोड़ रुपए शामिल है।

3. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्रः** केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.एम.आर.एस.) जो देश का प्रमुख संगठन है, क्षेत्र समन्वेषण, प्रयोगशाला-जांच, भू-गर्भ यांत्रिकी के विषय में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान, ठोस प्रौद्योगिकी और नदी घाटी परियोजनाओं से संबद्ध निर्माण सामग्री के क्षेत्र में काम कर रहा है।

4. **केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशालाः** 1916 में स्थापित की गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला (सी डब्ल्यू पी आर एस) नदी इंजीनियरी, पोत गतिकी, द्रवचालित मशीनरी, स्तरित प्रवाहों, नीव तथा संरचनाओं, भू-तकनीकों, भूकम्प इंजीनियरी, गणितीय प्रतिरूपण और यंत्रीकरण के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। यह विश्व में अपने तरह का एक विशालतम संस्थान और देश का प्रमुख इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान है।

5. **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणः** राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिशेष जल के अन्तर-बेसिन अन्तरणों की उपयुक्तता के लिए विस्तृत समीक्षा और अन्वेषण करने का काम सौंपा गया है।

6. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थानः** राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है।

7. **अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमः** जल संसाधन से संबंधित अनुसंधान स्कीमों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

8. **बड़ी और मध्यम सिंचाई की अन्य स्कीमेंः** इनमें सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के लिए व्यवस्था शामिल है। इन संगठनों के संबंध में व्यय की वसूली भागीदार राज्यों से की जाती है। वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) के लिए प्रावधान विदेशी सहायता का उपयोग करने के लिए है।

लघु सिंचाई

10. **केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्डः** केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, देश में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को हाथ में लेने तथा भूमिगत जल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने और भूमिगत जल विकास योजना तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए उत्तरदायी है। इसमें केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, जिसकी स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन की गई, के लिए भी प्रावधान शामिल है।

11. **भूमिगत जल स्कीमः** यह व्यवस्था केंद्र प्रायोजित योजनाओं, नामशः पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भूमिगत जल संसाधनों के अनुसंधान एवं विकास के लिए है। बजट अनुमान, 2001-02 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

12. **भूतल जल स्कीमः** "लघु सिंचाई सांस्थिकी को युक्तियुक्त बनाने" वाली योजनाओं और "लघु सिंचाई के निर्माण कार्यों की तीसरी गणना" हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गत करने के लिए व्यवस्था की गई है।

13. **कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमः** सरकार द्वारा सन् 1974-75 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किए गए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करना तथा सृजित सिंचाई क्षमता तथा अन्ततः उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को भी कम करना है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण तीन स्रोतों यथा, केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार के अपने संसाधनों और संस्थागत उधारों से किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को फार्म विकास कार्य, बाड़ाबंदी, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन और जल-जमाव वाले क्षेत्रों के सुधार आदि के लिए तैयारी, योजना बनाने, क्रियान्वयन तथा अनुवीक्षण करने हेतु अनुदान दिया जाता है। आई.आर.डी.पी. के ढांचे के आधार पर भूमि समतलीकरण एवं आकृति बनाने, छिड़काव तथा ड्रिप सिंचाई के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण पर आर्थिक सहायता के लिए समतुल्य आधार पर अनुदान दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्यतया वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है। तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं अथवा 250 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र के लिए लघु सिंचाई योजनाओं के समूह को भी सहायता दी जा सकती है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 22.26 मिलियन हेक्टेयर के सी.सी.ए. वाली 219 परियोजनाएं 23 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई है। इसमें अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रावधान भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए 2001-2002 में 187.19 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 1.50 करोड़ रुपए शामिल है।

बाढ़ नियंत्रण

14. **केन्द्रीय जल आयोगः** इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जलवाह क्षेत्रों में केन्द्रीय जल आयोग के अधीन स्थित महत्वपूर्ण स्थलों पर बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रदान करने और तत्संबंधी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के लिए व्यवस्था शामिल है। बाढ़ संबंधी पूर्वसूचना देने का जो कार्य चौथी योजना अवधि के दौरान गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, तिस्ता नदियों के बाढ़ प्रवण बेसिनों और उड़ीसा के तटीय नदियों में शुरू किया गया था उपयोगी सिद्ध होने के कारण उसे गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, माही तथा सावरमती नदियों के जलवाहक क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपने जल विषयक मौसम विज्ञान केन्द्रों तथा वायरलेस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए बाढ़ संबंधी जो पूर्वसूचना भेजी जाती है वह बाढ़ का प्रबन्ध करने और बाढ़ से होने वाली क्षति को कम से कम करने में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए बहुत सहायक होती है।

आयोग को भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की तरफ से विशिष्ट योजनाओं को शुरू व कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय जल आयोग के लिए 31.37 करोड़ रुपए है। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 0.70 करोड़ रुपए शामिल है।

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़-नियंत्रण कार्य

15.01 **ब्रह्मपुत्र बोर्डः** बहुप्रयोजनी लाभों के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल संसाधन विकास को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर योजना तैयार करने में मदद देने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एवं बारक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण तथा तट कटाव को रोकने और जल निकासी का सुधार करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी । बोर्ड का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में वहन किया जाता है। 20.00 करोड़ रुपए का सम्पूर्ण प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए है।

15.02 **असम सरकार को केन्द्रीय सहायताः** ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय करने के लिए 2001-2002 के दौरान असम सरकार को सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुदान के रूप में होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2001-2002 में 25.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है। सम्पूर्ण परिव्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए है।

राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य

16.01 **बाढ़ रोधक कार्यक्रमः** इस मद के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को उत्तरी बिहार और अन्य राज्यों में बाढ़ रोधक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। 2001-2002 के बजट अनुमान में 1.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

16.02 **गंगा बेसिन राज्यों में संकटपूर्ण अपरदन-रोधी कार्यः** 20.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था गंगा बेसिन क्षेत्र वाले राज्यों में संकटपूर्ण अपरदन-रोधी कार्यों के लिए है।

17. **पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण कार्यः** आयोजना-भिन्न व्यवस्था देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में बाढ़ से बचाव करने के तात्कालिक निर्माण कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता के संबंध में है। 2001-2002 के बजट अनुमान में 3.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

18. **बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएंः** इसमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो कि गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण का मास्टर प्लान तैयार करने के कार्य और बाढ़ निंयत्रण परियोजनाओं के संबंध में मूलभूत अनुंसधान कार्यों में लगा हुआ है, के लिए व्यवस्था शामिल है। इसमें भारत-नेपाल स्कीमों, कोसी और गंडक परियोजना के बाढ़ संरक्षण के रखरखाव, पगलाडिया बांध परियोजना, हरांगे जल-निकासी स्कीम, लालबकेया कमला, बागमती और खांडों नदियों पर तटबंधों के विस्तार, गंगा बेसिन राज्यों के छोड़कर तटीय महत्वपूर्ण क्षरण-रोधी कार्यों और गंगा नदी बेसिन में कियुल अरोहर नदी प्रणाली में माकमा ग्रुप आफ टैल्स में जल-निकासी के सुधार शामिल हैं। बाढ़-नियंत्रण की अन्य योजनाओं के लिए परिव्यय 40.65 करोड़ रुपए है। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए 28.85 करोड़ रुपए शामिल हैं।

19. **पड़ोसी देशों के साथ सहयोगः** यह व्यवस्था पड़ोसी देशों अर्थात् नेपाल, भूटान और बंगलादेश के साथ साझी नदियों पर योजनाओं/परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए है।

परिवहन क्षेत्र

20. **फरक्का बराज परियोजनाः** फरक्का बराज परियोजना जो अनिवार्यतः परिवहन क्षेत्र की परियोजना है, का क्रियान्वयन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गंगा नदी पर फरक्का पर मुख्य बराज और जंगीपुर के पास भागीरथी पर एक बराज, रेल एवं सड़क पुल और बराज से निकाली गई तथा भागीरथी में गिरती हुई पृष्ठ नहर के कार्य 1975 में पूरे कर लिए गए थे। फरक्का में नौवहन लॉक को 1987 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। फरक्का पर नौवहन लॉक का कार्य पूरा हो जाने पर, हल्दिया से फरक्का तक और पटना से इलाहाबाद तक का अन्तर्देशीय नौवहन मार्ग फिर से चालू कर दिया गया है।

21. **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण**

21.1 **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋणः** 14.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को आयोजना-भिन्न ऋण के लिए है ताकि वह अपने निष्क्रिय इकाइयों के कर्मचारियों को वेतन व मजदूरी का भुगतान करने में सक्षम हो सके।

22. सरकारी उद्यम/वित्तीय संस्थानों में निवेश

22.01 **राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.:** यह केन्द्र और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है और यह बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, पन बिजली परियोजनाओं, तापीय विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में संलग्न है। वर्ष 2001-2002 के दौरान योजना के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

यह कार्यक्रम चालू सिचांई/बहुद्देश्यीय परियोजनाओं, जिनपर पर्याप्त प्रगति की गई है और जो राज्य सरकारों के संसाधन क्षमता से बाहर हैं, के त्वरित कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1996-97 से प्रचालनरत है। वर्ष 2001-2002 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदान सं.27 के अधीन 2000.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इस अनुदान से राशि जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है।